

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)


**वादीगण**  
जगदीश कुमार पुत्र वक्ताराम जाति जणवा  
निवासी मुण्डारा तहसील बाली वगैरा

**बनाम**

**प्रतिवादी**  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/639

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15/10/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 2314/1072 मी0, कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.8225 हैक्टर किस्म जाव दायम कुल लगान 20.05 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, मुण्डारा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <div style="text-align: center;">  <p>सहायक कलक्टर एवं पदेन सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली</p> </div>	

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई  
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विनोई, आर.ए.एस.

वादीगण  
जगदीश कुमार पुत्र वक्ताराम जाति जणवा  
निवासी मुण्डारा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/639**  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीरोलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 2314/1072 मी0, कुल खसरा 01 कुल रकबा 1.8225 हैक्टर किस्म जाव दोयम कुल लगान 20.05 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, मुण्डारा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।






बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।




(दिनेश विनोई)  
सहायक कलक्टर एवं पदेन्  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी, बाली


नक्शा  
म - मुण्डरा खसरा नंबर - 2314/1072



क्रम संख्या	खातेदार का नाम	रंग	हस्ताक्षर
1.	जगदीश कुमार चौधरी पुत्र वंकाराम जाति- जणवा सा. देह खातेदार		
2.	पंकाराम पुत्र जीवाराम जाति- चौधरी सादलवा खातेदार		
3.	लहरी देवी पत्नि जगदीश चौधरी जाति- जणवा सा. देह खातेदार		लहरी

  
 दौलतसिंह राठौड़  
 हस्ताक्षर पटवारी  
 पटवारी (भू.अ.)  
 पटवार मण्डल... मुण्डरा  
 तह.बाली, जिला - पाली

  
 YUDHVEER SINGH BALOT  
 INSPECTOR (L.R.)  
 CIRCLE - MUNDARA  
 TEHSIL - BALI (PALI)

  
 हस्ताक्षर पटवारी  
 तहसीलदार (भू.अ.) बाली